न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–86/2026
पुनीत गोस्वामी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य
आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 657/2025, धारा 109(1),351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **पुनीत गोस्वामी** की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे नितांत असत्य कथनों के आधार पर झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न तो इस न्यायालय में, न ही माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में लंबित है और न ही निरस्त हुआ है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह सजायाबी है, अतः उसे दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा राजन अरोड़ा के मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते समय जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर किसी लोहे की छड़ी से कई वार करना एवं जान से मारने की धमकी देना, जिससे वादी के सिर में गम्भीर चोट आना, उसका वहीं गिर जाना आदि आक्षेपित है। इस प्रकरण की विवेचना अभी चल रही है, अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष के कथन हैं कि इलाका पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को तंग व परेशान करने पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा न्यायालय से मँगाई गई वांछित आख्या में आवेदक/अभियुक्त को पुलिस ने इस मुकदमे में वांछित होना दर्शाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़ित के साथ घटना करने का कोई मोटिव व इंटेशन नहीं है। घटना में किसी चक्षुदर्शी साक्षी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है और न ही घटना का कोई निष्पक्ष जनसाक्षी मौजूद है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और न ही उसकी मौके से कोई गिरफ्तारी हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में रिपोर्टकर्ता ने जौनी के भाई द्वारा घटना कारित करने का उल्लेख किया है, जबकि आवेदक/अभियुक्त दो भाई हैं, आवेदक/अभियुक्त के अलावा उसका एक छोटा भाई और है, जिसका नाम सुनीत गोस्वामी है और आवेदक/अभियुक्त का जौनी नाम के किसी व्यक्ति से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। रिपोर्टकर्ता के किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं है। रिपोर्टकर्ता ने दिनांक 16.12.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/विवेचना अधिकारी को शपथपत्र प्रस्तुत कर घटना से सम्बन्धित सही तथ्यों से अवगत करा दिया है, जिसके आधार पर भी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथित अपराध नहीं बनता है।

6– उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु विधि व्यवस्था **गुरूवख्श सिंह सिविया प्रति स्टेट आफ पंजाब 1978 Cr.L.J. 20(F.B.)** का संज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

Sec. 438 of the code is in the nature of a shield for protecting entirely innocent person from malicious humiliation–––care has to be taken

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.16 16:50:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

that this provision does not become sword in the hands of the unscrupulous person to gain time for destroying the incriminiating evidence against them and to mock at the lagitmate investigation process authorised by law.

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पक्ष के इस प्रत्युत्तर का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है कि रिपोर्टकर्ता ने दिनांक 16.12.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/विवेचना अधिकारी को शपथपत्र प्रस्तुत कर घटना से सम्बन्धित सही तथ्यों से अवगत करा दिया है, जिसके आधार पर भी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथित अपराध नहीं बनता है। केस डायरी के पर्चा संख्या 4 में वादी मुकदमा राजन अरोड़ा का कथित शपथपत्र अंकित है, जिसके अवलोकन से अभियुक्त पक्ष के उक्त प्रत्युत्तर के कथनों को बल मिलता है।

पत्रावली पर दिनांक 25.11.2025 के पर्चा संख्या 5 के बाद की कोई केस डायरी/ पर्चा उपलब्ध नहीं है और न ही इसका कोई कारण अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्ट किया गया है।

वादी/चुटैल राजन अरोड़ा की कथित चोट किस सीमा तक गम्भीर थी, यह तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है।

आवेदक/अभियुक्त **पुनीत गोस्वामी** किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा भी अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर कोई मत प्रकट किए, आवेदक/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन दौरान विवेचना/विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

1– आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना/विचारण, विवेचक/न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और अपने स्तर से विवेचना/विचारण में कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

2– आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा,

3– आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति व आदेश के भारत नहीं छोड़ेगा,

4– आवेदक/अभियुक्त ऐसा अपराध, जिसे करने का उस पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेगा और उसके द्वारा विवेचना/विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जाँचोपरान्त किसी भी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो विश्वसनीय जमानतें सम्बन्धित न्यायालय में नियमानुसार अविलम्ब प्रस्तुत की जायँ।

दिनांक–16.03.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी